



REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Plot No: 2A, Road No. 6, Indraprastha Industrial Area, Kota (Rajasthan)

Ph: 0744-2490873 e-mail: rorpcb.kota@gmail.com

RPCB/RO/KOTA/KBA/477/2345

Dated: 25/01/2021

Analyst Cum Programmer,
RSPCB, Jaipur.

Sub: Public hearing as per the EIA Notification dated 14.09.2006 issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF & CC), GOI for **“Shahpur Pumped Storage Project having capacity of 2520 MW (17640 MWH, based on 7-hour operation per day)”** by M/s Greenko Energies Private Limited, Hyderabad, proposed at Village-Shahpur, Tehsil- Shahbad, District-Baran– TORs regarding.

Ref: Office of District Collector Baran letter no. Revenue/2021/153-61 dated 18/01/2021.

Sir,

In reference to District Collector Baran letter no. Revenue/2021/153-61 dated 18/01/2021 date of public hearing has been decided on 22/02/2021. Please find enclosed copy of the notice for Public hearing for displaying on the website of State Board.

Encl:- As above

Yours sincerely

(Rakesh Gupta)
Regional Officer




क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा -324004
rorpcb.kota@gmail.com

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 2520 मेगावाट (17640 MWH, प्रति दिन 7-घंटे के संचालन पर आधारित) की क्षमता वाली शाहपुर पम्पड भंडारण परियोजना ग्राम -शाहपुर तहसील-शाहबाद जिला-बारां हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि, मैसर्स ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम -शाहपुर तहसील-शाहबाद जिला-बारां में प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
3. और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
 - (1) कार्यालय जिला कलक्टर, बारां।
 - (2) कार्यालय जिला परिषद, बारां।
 - (3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।
 - (4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 - (5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
 - (6) जिला उद्योग केन्द्र, बारां।
 - (7) क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, सेन्ट्रल बिल्डिंग 5-पूल सेक्टर-एच अलीगंज, लखनऊ।
 - (8) ग्राम पंचायत मुण्डियर तहसील-शाहबाद जिला-बारां।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आप परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन-सुनवाई हेतु दिनांक 22.02.2021 को "आंगनबाड़ी पाठशाला के समीप, ग्राम कॉलोनी, तहसील-शाहबाद, जिला-बारां में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप, कोविड-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
आज्ञा से


(राकेश गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी